

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी- विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
38 / 2020

दायर दिनांक
03.11.2020

निर्णय दिनांक
23.02.2021

अनवान

1. पीरू खॉ पिता नानू खॉ पिजारा आयु वयस्क निवासी भट्टों का बामनिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़

प्रार्थी

बनाम

1. जाकिर पुत्र अलादीन पिनारा आयु वयस्क निवासी भट्टों का बामनिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
2. मुबारिक पुत्र अलादीन पिनारा आयु वयस्क निवासी भट्टों का बामनिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
3. सईदा पत्नी अलादीन पिनारा आयु वयस्क निवासी भट्टों का बामनिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
4. सफी मोहम्मद पुत्र अलादीन पिनारा आयु वयस्क निवासी भट्टों का बामनिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
5. रामेश्वर पिता जीतू जाट आयु वयस्क निवासी भट्टों का बामनिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
6. शांतिलाल पिता बालू जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी भट्टों का बामनिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
7. गुडडु पिता रामेश्वर जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी भट्टों का बामनिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
8. नानी पत्नी चांद खां पिनारा आयु वयस्क निवासी भट्टों का बामनिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
9. भूरी पुत्री चांद खां पिनारा आयु वयस्क निवासी भट्टों का बामनिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
10. शरीफन पुत्री चांद खां पिनारा आयु वयस्क निवासी भट्टों का बामनिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
11. शहनाज पुत्री चांद खां पिनारा आयु वयस्क निवासी भट्टों का बामनिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़
12. सलमा पुत्री चांद खां पिनारा आयु वयस्क निवासी भट्टों का बामनिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़



उपस्थिति:- अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार बापना
एक तरफा



प्रार्थी
अप्रार्थीगण

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा भट्टों का बामनिया पटवार हल्का भट्टों का बामनिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 में खाता संख्या 200 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1934, 1935, 1937, 1938, 1939, 1940, 1942, 1945, 1946, 2157/1940 व खाता संख्या 201 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1936 कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 4 व 8 से 12 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थी संख्या 5 से 7 आराजीयात जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजीयात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है अतः प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा-चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 4 व 8 से 12 वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणो को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 23.02.2021 को अप्रार्थीगण के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से अप्रार्थीगण के विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। इस पर हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र को एक तरफा सुना गया। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजीयात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर-बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार कपासन को सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार कपासन को आदेश दिया जाता है कि मौजा भट्टों का बामनिया पटवार हल्का भट्टों का बामनिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 में खाता संख्या 200 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1934, 1935, 1937, 1938, 1939, 1940, 1942, 1945, 1946, 2157/1940 व खाता संख्या 201 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1936 कृषि भूमि की फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कपासन को 800/- रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक को 23.02.2021 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

विनोद कुमार
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन